



दिनांक- 24.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2023 को वादी श्री कर्नल बलबीर सिंह (सेवानिवृत्त) पुत्र स्व० हरीश चन्द्र सिंह निवासी 33/14, गणपति कुंज 23 सर्कुलर रोड देहरादून, उत्तराखण्ड, के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर द्वारा एक राय होकर एक पूर्व नियोजित षड़यंत्र के तहत फर्जी लिखा पढ़ी करके नौटैरी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी कर वादी से 50 रुपये ठग लेना व रुपये वापस माँगने पर वापस ना देना व फोन पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 453/2022 धारा 420/406/467/468/471/120बी/507 भादवि बनाम (1) महेश कुमार त्यागी पुत्र स्व० सोमदत्त त्यागी निवासी ग्राम भरतपुर थाना नागल जिला सहारनपुर ,मो०न० 9760677171, हाल निवासी इन्द्रानगर निकट शहीद द्वार देहरादून, (2) अमजद अली पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम कामेशपुर, छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर हाल पता जौहडी सिनौला थाना राजपुर जिला देहरादून, (3) अदनान पुत्र गुफरान नि० अलीपुरा थाना सरसावा स०पुर, (4) प्रवीन कुमार उर्फ गुरुदेव पुत्र दशोन्दी राम नि० हाऊस न० 5/311 गनोली गेट छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा, (5) संजीव उर्फ बन्टू उर्फ गोयल पुत्र मुकेश निवासी अमर विहार कालोनी थाना जगादरी सिटी जिला यमुनानगर हरियाणा, (6) रणवीर सिंह उर्फ अभय पुत्र भूप सिंह निवासी हेमा माजरा थाना मौलाना जनपद अम्बाला, (7) मलकित सिंह उर्फ बाबा पुत्र धर्म सिंह नि० ग्राम नाड्डा साहिब थाना चण्डी मंदिर जनपद पंचकुला हरियाणा के पंजीकृत कराया गया था । जिसमें अभि० महेश , अमजद , अदनान ,रुदेव सिंह , रणवीर , संजीव उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है । **अभि० मलकित सिंह उर्फ बाबा उपरोक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर तथा पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये तत्काल अभि०गणो की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये । श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के कुशम नेतृत्व में आदेश के अनुपालन में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभि० **मलकित सिंह उर्फ बाबा पुत्र धर्म सिंह नि० ग्राम नाड्डा साहिब थाना चण्डी मंदिर जनपद पंचकुला हरियाणा** को बेहट अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया । बाद गिरफ्तारी अभि० को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार दाखिल किया जायेगा ।

जानकारी करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसने वादी से अपने सह अभिययुक्तो के साथ मिलकर एक राय होकर एक पूर्व नियोजित षड़यंत्र के तहत फर्जी लिखा पढ़ी करके नौटैरी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी कर जमीन के नाम पर रुपये हड़प कर लिये थे । अभियुक्त मलकित सिंह उर्फ बाबा 7 वी पास है तथा वह धार्मिक सामान की दुकान करता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मलकित सिंह उर्फ बाबा पुत्र धर्म सिंह नि० ग्राम नाड्डा साहिब थाना चण्डी मंदिर जनपद पंचकुला हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री मनोज कुमार चाहल थाना को० देहात, स०पुर
2. उ०नि० दीपचन्द थाना को० देहात, स०पुर
3. उ०नि० गम्भीर सिंह थाना को० देहात, स०पुर
3. हे०का० 845 तेजेन्द्र सिंह थाना को० देहात , स०पुर
4. का० 199 रोहित कुमार थाना को० देहात स०पुर



दिनांक- 24.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2023 को वादी भंवर सिंह पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम जम्बूगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना आकर एक तहरीर बाबत वादी के लडके अजय को विपक्षी पृथ्वीराज पुत्र सिंगारु निवासी ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर मे बन्धक बनाकर उसके साथ मारपीट करने के सम्बन्ध मे दाखिल की। जिसके सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 0091/23 धारा 342/323/324 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे वान्छित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नानौता के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त **पृथ्वीराज पुत्र सिंगारु निवासी ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर** को मारपीट मे प्रयुक्त की गयी कैची सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता :

पृथ्वीराज पुत्र सिंगारु निवासी ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

मारपीट मे प्रयुक्त की गयी कैची

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 829 सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक- 24.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र डेढ घण्टे मे नाबालिक लडकी को बहला फुसला कर ले जाने वाला वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार, नाबालिग सकुशल बरामद ।

अवगत कराना है दिनांक 23.05.2023 को वादी द्वारा हाजिर थाना आकर एक तहरीर बाबत पंकज कश्यप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल की । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना नानौता पर मु0अ0स0 92/2023 धारा 363 भादवि बनाम पंकज कश्यप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे वान्छित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नानौता के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा मे मात्र 1.5 घण्टे मे अपहता को सकुशल बरामद करते हुए नामजद अभियुक्त पंकज कश्यप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पंकज कश्यप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 829 सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. म0का0 1229 प्रतिभा थाना नानौता जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट- 24.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहृता नाबालिग लडकी को सकुशल किया गया बरामद ।

अवगत कराना है दिनांक 06.05.2023 को वादी द्वारा एक तहरीर बाबत अपनी नाबालिग भतीजी उम्र करीब 17 वर्ष को विपक्षी अमित पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जिला सहारनपुर द्वारा घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल की। दाखिला तहरीर के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना नानौता पर मु0अ0स0 0085/2023 धारा 363 पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना नानौता श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में अपहृता नाबालिग लडकी को सकुशल भट्टा शेखापिण्ड, थाना मकसूदा जनपद जालन्धर, पंजाब से बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 460 विकास कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. म0का0 1205 निशा थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक- 24.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के 03 वांछित व 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 02 कारतूस जिन्दा बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.3.2023 को वादी श्री सुशील कुमार पुत्र रकमसिंह निवासी देहरी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा थाना पर लिखित सूचना दी थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरे लडके उपदेश के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिसके सम्बन्ध में मू०अ०स० 67/23 धारा 352/336/307/120बी भा०द०वि० पर्जीकृत कर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उप०निरी० कृष्णपाल सिंह उप०निरी० महेशचन्द्र उप०नि० देवेन्द्र सिंह, का० 1854 आशीष कुमार का० 2480 सूरजीत सिंह की टीम गठित की गयी टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभि० 1.दिपांशू पुत्र पंजाब सिंह नि० ग्राम नयागांव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 2. अक्षय पुत्र राजवीर नि० ग्राम खानपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 3.आर्यन पुत्र तेजपाल नि० ग्राम सबौली थाना नकुड जिला सहारनपुर व बाल अपचारी विकास पुत्र श्रवण नि० ग्राम देहरी थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दीपाशू के कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक तमंचा मय दो कार० जीन्दा बरामद हुए।

अभियुक्तगण दीपांशू, अक्षय, आर्यन ने सामूहिक रूप से पूछताछ पर बताया कि अब से करीब 02 माह पहले सोसाईटी के चुनाव हुई थे । जिसमें उपदेश के पिता सुशील कुमार निवासी ग्राम देहरी डेलीगेटी के चुनाव में प्रत्याशी थे, जो चुनाव हार गये थे । चुनाव जिसमें विकास द्वारा उपदेश को फोन करके कहा था कि लगा दिया धरती में, इस बात को लेकर उपदेश ने विकास के साथ मारपीट कर दी थी । विकास ने बदला लेने की भावना से अपने दोस्त दीपांशू को ये सारी बात बताई थी । उसके पश्चात हमने योजना बनाई थी कि उपदेश को विकास के साथ की गयी मारपीट का बदला लेकर मजा चखायेंगे। योजना के अनुसार मैं अपने तमंचा व कारतूस लेकर आया था तथा मेरे सभी साथी मेरे साथ मौजूद थे। करीब दो माह पहले हम लोगो ने नया गाव चौधरी काबज सिंह इण्टर कालेज पर उपदेश को मारने के इरादे से गोली चलाई थी जिसमें उपदेश बाल बाल बच गया था। गोली की आवाज सुनकर स्कूल के बच्चे आ गये और हम सभी अपने अपने घरों को भाग गये । तमंचा मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.दिपांशू पुत्र पंजाब सिंह नि० ग्राम नयागांव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. अक्षय पुत्र राजवीर नि० ग्राम खानपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. आर्यन पुत्र तेजपाल नि० ग्राम सबौली थाना नकुड जिला सहारनपुर
4. बाल अपचारी विकास पुत्र श्रवण नि० ग्राम देहरी थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 तमन्चा व 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रमोद कुमार प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उपनिरी0 कृष्णपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. उपनिरी0 महेशचन्द्र थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. उपनि0 देवेन्द्र सिंह, थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. का0 1854 आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
6. का0 2480 सूरजीत सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर



दिनांक: 24-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 साईबर ठग को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 पैन कार्ड व 01 आधार कार्ड एवं 6,570/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.04.2023 को मौ० अरशद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी ग्राम उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर से व्हाट्सअप पर उनके रिश्तेदार की फोटो लगाकर 35,000/- रुपये की साईबर ठगी करने वाले अभियुक्त **राहुल पुत्र फज्जर निवासी जुरहरी थाना जुरहेडा जनपद भरतपुर (राजस्थान)** को आज दिनांक 24.05.23 को अम्बाला रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 पैन कार्ड व 01 आधार कार्ड एवं 6,570/- रुपये नकद बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०स० 139/23 धारा 420 भादवि व 66सी/66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त राहुल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अक्सर लोगो की फेसबुक, TrueCaller App व अन्य सोशल मीडिया पर प्रोफाईल चेक करके उनके रिश्तेदार के फोटो आनलाईन सोशल मीडिया से लेकर अपने व्हाट्सअप नम्बर पर लगाकर उन लोगो से उनका रिश्तेदार बनकर उनसे पैसे ठग लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राहुल पुत्र फज्जर निवासी जुरहरी थाना जुरहेडा जनपद भरतपुर (राजस्थान)

बरामदगी का विवरण

- 01 मोबाईल वीवो कम्पनी का
- 01 पैन कार्ड नं०- CERPR7053F (राहुल)
- 01 आधार कार्ड नं०- 294414375247 (राहुल)
- कुल 6,570/- रुपये नकद

पुलिस पार्टी -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ०नि० ओमकार सिंह थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. है०का० 977 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. का० 2405 मनोज कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर।



दिनांक: 24/05/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2023 को वादी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र जगदीश, नि० जन्धेडी, थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर मु०अ०स० 201/23 धारा 363/254 क भादवि,7/8 पोस्को अधिनियम पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये घटना के अनवारण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्र०नि० सदर बाजार श्री प्रमोद गौतम के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त घटना करने वाले अभियुक्त रजनीश पुत्र लिखतराम नि. जन्धेडी थाना सदर बाजार सहारनपुर को दि० 24.05.2023 को जन्धेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता:-

रजनीश पुत्र लिखतराम नि. जन्धेडी थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० गौरव चौहान थाना सदर बाजार ,सहारनपुर।
2. का० 2012 आवेश थाना सदर बाजार , सहारनपुर